कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डितदीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

क्रमांकः– एफ–6 ( ) आ.राज. (सा.प्र.)/ननिज/2013/ 613 दिनांकः– 6-12-2013

नीलामी सूचना

नगर निगम जयपुर सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर निम्न विवरण में उल्लेखित यूनीपोल, कियोस्क एवं ट्राईऐंग्यूलर साईनेज सूची में अंकित स्थानों पर संवेदक द्वारा नई विज्ञापन साईट लगाने/निर्मित विज्ञापन साईटों पर विज्ञापन करने एवं संधारण हेतु, खुली नीलामी लाल कोठी मुख्यालय, ग्राउन्ड फ्लोर पर कमरा नं. 106 के बाहर की जायेंगी।

नीलामी दिनांक 23.12.2013, 24.12.13, 26.12.13, 27.12.13 एवं 30.12.13 को प्रातः 11:00 बजें से सायं 5.00 बजे तक की जावेगी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	जोन का नाम	दिनांक	अमानता राशि
1.	यूनिपोल– मोती डूंगरी जोन, सिविल लाईन जोन, विद्याधर नगर जोन,	23.12.2013	16'X8' साईज के यूनिपोल के 5,000/– रू. (पांच हजार रू.) प्रति साईट व
2.	यूनिपोल–मानसरोवर जोन, सांगानेर जोन, आमेर जोन, हवामहल जौन (पूर्व)	24.12.2013	30'X15' साईज के यूनिपोल के 15,000/– रू. (पन्द्रह हजार रू.) प्रति साईट
2.	कियोस्क (बिजली के खंभो पर विज्ञापन प्रदर्श हेतु लगाये जाने वाले छोटे–बोर्ड) जवाहरलाल नेहरू मार्ग (रामनिवास बाग के पीछे गेट से बाहर जवाहर सार्किल तक) एवं ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (रोड आईलैण्ड पर)	26.12.2013	कियोस्क के लिए रूपये 15000/– मात्र ट्राईऐंग्यूलर साईनेज प्रति (रोड आईलैण्ड पर) के 5,000/– रू. (पांच हजार रू.)
3.	ओवरब्रिजों के गमलों पर विज्ञापन व संधारण हेतु एवं उपरोक्त में से शेष रही विज्ञापन साईटें	27.12.2013	ओवरब्रिजों के गमलों पर विज्ञापन व संधारण हेतु 25,000 /– रू. (पच्चीस हजार रू.)
4.	निर्मित यातायात पुलिस गुमटियां एवं छतरियों पर विज्ञापन व संधारण एवं उपरोक्त में से शेष रही विज्ञापन साईटें	30.12.2013	मोतीडूंगरी जोन रूपये 5 लाख, सिविल लाईन जोन रूपये 2 लाख, विधाधर नगर जोन रूपये 1.5 लाख, सांगानेर जोन रूपये 1 लाख, मानसरोवर जोन रूपये 2 लाख, हवामहल जोन (पूर्व)रूपये 2 लाख, हवामहल जोन (पश्चिम) रूपये 75 हजार, आमेर जोन रूपये 75 हजार मात्र।

नीलामी की प्रमुख शर्ते :–

1. उपरोक्त यूनिपोल, ओवरब्रिजों के गमलों पर विज्ञापन व संधारण एवं ट्राईऐंग्यूलर साईनेज(रोड आईलैण्ड) कियोस्क पर विज्ञापन लाईसेन्स जारी अवधि से (एक वर्ष तथा दो वर्ष नवीनीकरण) के लिए नीलाम किये जावेंगे।
2. इच्छुक बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व उपरोक्त विज्ञापन साईटें हेतु नगर निगम जयपुर द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार अमानता राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट से नियमानुसार जमा करवाना अनिवार्य होगा व सभी शर्तो की पालना करनी होगी।
3. उच्चतम बोलीदाता फर्म को नीलामी की चौथाई राशि (1/4) तुरन्त मौके पर जमा करानी होगी।
4. उपरोक्त विज्ञापन साईटों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकेगी।
5. नीलामी की अन्य शर्ते एवं उपरोक्त विज्ञापन साईटों, की सूची व शर्तो की जानकारी राजस्व अधिकारी (होर्डिग्स), निगम मुख्यालय प्रथम तल, नई बिल्डिंग, कमरा नम्बर SW-205 में कार्यदिवस समय में देखी जा सकती है एवं सूचना पट्ट निगम मुख्यालय पर भी देखी जा सकती है अथवा नगर निगम जयपुर की वेबसाईट www.Jaipur.mc.org. Hoarding पर देखी जा सकती है।
6. नीलामी स्थल पर बोलीदाता के अतिरिक्त एक ही व्यक्ति साथ रह सकता है। एक से अधिक व्यक्ति साथ नहीं रहेंगे।
7. नीलामी स्थल पर बोलीदाता एवं उसका सहयोगी मोबाइल फोन नहीं रख सकेगा एवं मोबाइल का उपयोग नही करेगा।
8. किसी भी नीलामी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा।

–sd–

आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपि :–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की व्यवस्था करें ।
2. प्रोग्रामर, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को नगर निगम की वेबसाईट पर प्रदर्शित करावे।

आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर